

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-107/2022 - 962

/पटना, दिनांक-08/08/22

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:-


वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04- 105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

SL.No	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rajgir	Rajgir	10200902018	L031 to Tetariya	1.450	42.937	11.773	4.294	59.004
2	Rajgir	Rajgir	10200902016	L028 to Khaira Salaru	0.900	23.350	7.492	2.335	33.177
3	Rajgir	Rajgir	10200902048	Rajgir Islampur Road to Karimpur	1.350	32.218	15.949	3.221	51.388
4	Rajgir	Rajgir	10200902038	Silao Garoul Road to Keshri Bigha	1.000	25.781	12.069	2.578	40.428
5	Rajgir	Rajgir	10200902040	Rajgir Chhabilapur Road to Chakpur Sabalpur Pathraura	1.450	35.386	17.205	3.538	56.129
6	Rajgir	Rajgir	10200902014	Silao Garoul Road to Harhari Bigha Donachak	1.700	41.873	13.887	4.187	59.947
7	Rajgir	Ben	10200904008	Saure Pokhar to Natthchak	1.000	26.029	8.306	2.603	36.938
8	Rajgir	Ben	10200902028	L074 - T01 to Baktamal Bigha	0.700	20.142	5.638	2.014	27.794
9	Rajgir	Ben	10200904007	Janari Pakki Sadak to Kenduaa Bigha	1.000	27.019	7.634	2.702	37.355
10	Rajgir	Ben	10200902029	L0447 to Bishu Bigha	1.900	47.820	15.608	4.782	68.210
11	Rajgir	Silao	10200902044	T03 to Kanipar	1.700	43.261	14.033	4.326	61.620
12	Rajgir	Katrisarai	10200902020	L029 - T02 RP PWD Road to Bilari (ODR4)	1.770	46.186	14.868	4.619	65.673
13	Rajgir	Katrisarai	10200903011	SH-71 Parmanandpur to Mahadalit Tola	0.470	16.526	2.168	1.652	20.346
14	Rajgir	Katrisarai	10200903004	Saidpur more to Saidpur	1.140	28.953	12.129	2.895	43.977
<b>Total</b>					<b>17.530</b>				<b>661.986</b>

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, राजगीर योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के



- पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
  4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-119/2022 में दिनांक 24.06.2022 को प्राप्त है।
  5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 8.8.22 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-107/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।
  6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
  7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
  9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
  10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
  11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
  12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
  13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
  15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
  16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-1-107/2022 के पृ-10 /टि0 पर दिनांक-02-8-22को प्राप्त है।

de


विश्वासभाजन

8/8/22


(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-1-107/2022 - 962 /पटना, दिनांक-08/08/2022  
प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
8/8/2022  
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-4 (मु0)-3054-1-107/2022 - 962 /पटना, दिनांक-08/08/22  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास  
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/  
संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, / संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित उप विकास आयुक्त,  
/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य  
विभाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य  
अंचल, नालंदा / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं  
आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
8/8/2022  
विशेष सचिव